नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

विंध्य में बारिश का कहर चित्रकूट पूरी तरह कटा

बीहर, बकिया, मेजा सहित कई बांधों के गेट खोले, रेस्क्यू शुरू

नवभारत न्यूज

सतना, 29 अगस्त. विंध्य अंचल में मूसलाधार बारिश के बाद प्रमुख बांधों और बैराजों के लबालब होने से हालात गंभीर हो गए हैं. प्रशासन द्वारा बीहर, बकिया, अदवा और मेजा सहित आधा दर्जन बांधों के गेट खोलकर बड़े पैमाने पर जल निकासी शुरू की गई है. चित्रकूट सहित तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट के बीच राहत-बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, जहां अब तक लगभग 500 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. भारी बारिश से चित्रकूट आसपास के क्षेत्रों से पूरी तरह कट गया है.

बाढ़ कंट्रोल रूम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बकिया बैराज का जलस्तर 279.70 मीटर दर्ज किया गया है, जहां 5 गेट 50-50 सेमी और 3 गेट 75-75 सेमी खोलकर 753.70 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं बीहर बैराज का जलस्तर 278.90 मीटर पहुंचने पर इसके 8 गेट 50-50 सेमी उठाकर 125.84 क्यूमेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है. मेजा बांध का जलस्तर 177.40 मीटर हो गया है जहां 7 गेट 60-60 सेमी खोलकर 10,942 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है. इसी प्रकार अदवा बांध के 6 गेट 2-2 फीट खोलकर 10,359.92 क्यूसेक और सिरसी बांध (जलस्तर 217.40 मीटर) के 2 गेट 2-2 फीट खोलकर 2,064 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

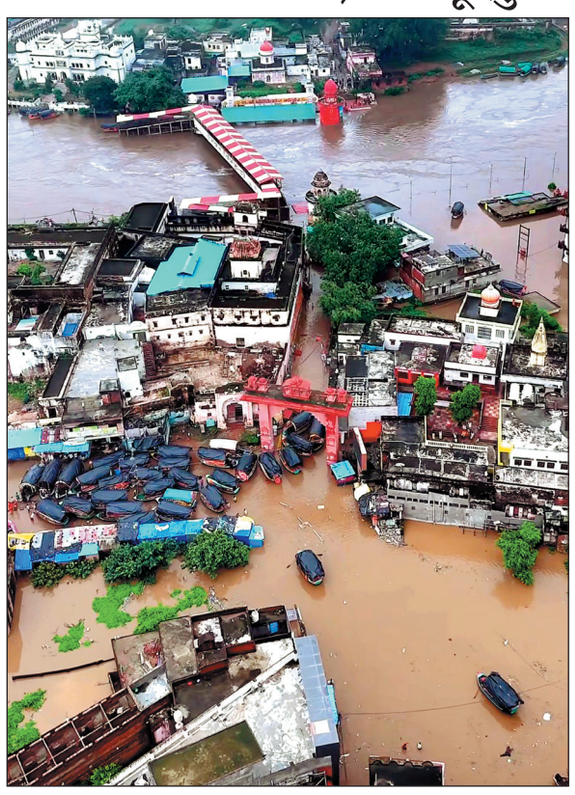

बांधों से पानी छोड़ने से बढ़ा जल स्तर

बांधो से पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ गया है. देवलोद 341.43 मीटर और माधवगढ़ 287.70 मीटर तक जलभराव हो गया है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. वहीं, चित्रकूट सहित कई नदी के किनारे बसे निचले गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. कंट्रोल रूम से चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है. खतरे के निशान को देखते हुए प्रशासन ने लोगो की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

अधिकारी दोषी, नेताओं को क्लीन चिट

भागीरथपुरा कांड की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नव भारत न्यूज

इंदौर, 29 अगस्त. शहर में दूषित पानी से मौतों के मामले में जांच कमेटी रिपोर्ट में आज कुछ तथ्य सामने आए हैं. कमेटी रिपोर्ट में अधिकारियों को दोषी बताया गया है और पार्षद से लेकर महापौर तक किसी नेता को मामले में दोषी नहीं माना गया है. खास बात यह है कि दोनों पूर्व निगम आयुक्त को भी क्लीन चिट दी गई है.

शहर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की वजह से 38 लोगों की मौत हो गई थी. उक्त मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जस्टिस सतीश गुप्ता की एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी. कमेटी को एक महीने में जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी थी, लेकिन निगम अधिकारियों और परिषद का रवैया सकारात्मक नहीं होने से रिपोर्ट तीन महीने बाद एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट में जमा कराई गई. उक्त मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है. मामले को लेकर हाईकोर्ट बार एसोशिएशन के अध्यक्ष ने प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के यहां आवेदन देकर रिपोर्ट देखने और उसकी कॉपी देने और देखने का आवेदन किया था. उसी आधार में भागीरथपुरा की रिपोर्ट के कुछ तथ्य सामने आए है.

बताया जा रहा है कि उक्त जांच रिपोर्ट में कमेटी ने भागीरथपुरा में पाइप लाइन डालने में देरी का अधिकारियों को दोषी माना है. रिपोर्ट में बार बार पूर्व कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव के द्वारा पाइप लाइन बदलने के काम में लापरवाही करने की बात सामने आई है. साथ ही पाइप लाइन के टेंडर में देरी करने की गलती भी अधिकारियों की बताई गई है.

उक्त पूरे मामले में जांच कमेटी ने नर्मदा कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, पूर्व अपर आयुक्त संदीप सोनी को दूषित पानी और 36 मौतों का दोषी बताया गया है. वहीं रिपोर्ट में पार्षद कमल वाघेला, एमआईसी सदस्य अभिषेक शर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को क्लीन चिट दी गई है.

सहायता राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाए

हाईकोर्ट बार एसोशिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर रोक के चलते सिर्फ इतना कहा है कि मृतकों के परिजन को सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख या 20 लाख रुपए तक दी जाना चाहिए. अधिवक्ता यादव ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी ,आयएएस और जनप्रतिनिधियों को भागीरथपुरा कांड में दोषी नहीं माना गया है. वरिष्ठ अधिकारी कांड के समय निगम आयुक्त दिलीप यादव और पूर्व निगम आयुक्त एवं वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा को क्लीन चिट मिलने की चर्चा है.

वकीलों ने फिर से दायर की इंटरविनर याचिका

उक्त मामले की रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट बार अध्यक्ष मनीष यादव ने कोर्ट में प्रमोद द्विवेदी और महेश गर्ग की इंटर विनर याचिका दायर की है. अधिवक्ता रितेश ईनाणी ने उक्त मामले में अलग याचिका दायर की है. अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में भागीरथपुरा कांड के लिए इंटर विनर याचिकाओं की अलग से सुनवाई की मांग की है. वकीलों ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कीं .सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा भी उक्त मामले में हाईकोर्ट से जांच रिपोर्ट के बाद सुनवाई में शामिल हो सकते है.

घुटनों तक पानी में विधायक का धरना

कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष भी रहे साथ

ग्वालियर, 29 अगस्त. शहर में हुई झमाझम वर्षा ने एक बार फिर से जल निकासी के दावों की पोल खोल दी. वार्ड नम्बर 64 के शंकरपुर में कुछ ही देर में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया. जल भराव की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

परेशानी के विरोध में कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर वर्षा के बीच जल मग्न सड़क पर धरना देकर बैठ गये. उनके साथ ग्वालियर कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे एवं सुरेन्द्र यादव भी पानी के बीच धरने पर बैठे. विधायक ने फेसबुक लाइव कर नगरनिगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि शंकरपुर में पिदले 2 वर्षो से जलभराव की परेशानी बनी हुई है. वह लगातार इसे अधिकारियों के सामने उठा रहे हैं. लेकिन अभी तक इसका स्थाई समाधान नहीं किया गया. कुछ ही देर में विधायक के धरने में स्थानीय नागरिक भी शामिल हो गये. लोगों ने नगरनिगम प्रशासन के खिलाफ नगर निगम होश में आओ के नारे लगाये. जलभराव के बीच किये गये विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है. लोगों के अनुसार इलाके में जल निकासी की स्थाई व्यवस्था होने तक वह समस्या के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.

विवेक मीणा के हत्यारों पर 10-10 हजार का इनाम

ग्वालियर, 29 अगस्त. भरे बाजार बजरंग दल नेता के भाई विवेक मीणा की सिर में गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस के हाथ 24 घंटे बाद भी खाली हैं. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी लाला अग्रवाल, राहुल यादव और सौरभ यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.

पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. विवेक मीणा की हत्या से करीब 24 घंटे पहले भी आरोपियों ने हजीरा क्षेत्र में फायरिंग की थी. इसके बावजूद अगले ही दिन भरे बाजार में विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है.

विवेक मीणा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में आरोपी वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं.

फायरिंग वाले वीडियो वायरल

हत्या के मामले में नाम सामने आने के बाद आरोपी सौरभ यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े कुछ वीडियो और रील भी वायरल हो रहे हैं.

एक नजर में

करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत

पांढुरना. फसलों की सुरक्षा के लिए नांदनवाडी के किसान द्वारा बिछाए गए विद्युत करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत हो गई. पुलिस द्वारा पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पांढुरना नगर जिला मुख्यालय पहुंचाकर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रहीं है.

दमोह एसपी अचानक पहुंचे पुलिस चौकी

दमोह. पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि (भापुसे) ने शनिवार को बटियागढ़ और फुटेरा क्षेत्र का भ्रमण किया. इस दौरान एसपी ने फुटेरा कलां चौकी पहुंचकर चौकी परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने लंबित अपराध, पेंडेंसी और विवेचनाओं की समीक्षा की.

भिंड में नदियों का बढ़ा जलस्तर, चार पुल डूबे

भिंड. जिले के मेहगांव क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के बाद झिलमिल और बैसली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. जलस्तर बढ़ते ही सड़कों पर बने चार पुल-पुलिया पानी में डूब गए हैं. इससे कई गांवों का सीधा संपर्क मेहगांव और आसपास के कस्बों से टूट गया है.

21 दिन बाद निर्वा की कूनो में हुई वापसी

- मादा चीता को सुरक्षित नेशनल पार्क में छोड़ा
- सैटेलाइट कॉलर काम नहीं करने से हुई थी लापता

श्योपुर,29 अगस्त. कूनो नेशनल पार्क से करीब 21 दिन पहले लापता हुई दक्षिण अफ्रीकी से लाई गई मादा चीता निर्वा आखिरकार सुरक्षित मिल गई. उसका सैटेलाइट कॉलर काम नहीं कर रहा था जिस कारण सिग्नल मिलना बंद हो गया था.

मानसून के दौरान जंगल में उसकी मौजूदगी को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी रही. लंबी तलाश के बाद टीम ने निर्वा का पता लगाया और उसे सुरक्षित वापस बाडे में छोडा गया. कूनों नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने चीता प्रोजेक्ट की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए निर्वा की तलाश को बडी सफलता बताया है. उन्होंने कहा कि कॉलर से सिग्नल नहीं मिलने के बावजूद टीम ने लगातार प्रयास जारी रखे. करीब 21 दिन तक उसकी लोकेशन की पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी थी.

सिग्नल बंद होने से निगरानी बनी चुनौती

निर्वा के कॉलर से सिग्नल बंद होने के बाद उसकी निगरानी चुनौती बन गई थी. मानसून के दौरान जंगल में उसकी मौजूदगी और लगातार बदलते मौसम के बीच टीम के सामने उसे जोखने की चुनौती थी. आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसे सुरक्षित वापस लाया गया है.

जननी की मौत पर लगने लगा सियासत का तड़का

- चौबीस घण्टे में बदली जांच समिति
- अब बीनू के बजाए वाधवानी अध्यक्ष

रीवा, 29 अगस्त. संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में जननी की गूंजी चीख-पुकार को हमेशा के लिए चुप्पी में परिवर्तित करने की कोशिश शुरू हो गयी है.

सक्षम लोगों का एक बड़ा वर्ग इस मामले को दबाने में सक्रिय हो गया है. डाक्टरों के स्थानीय संगठन ने भी अपनी एकजुटता के संकेत देने शुरू कर दिए हैं. इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने बिना कमी सार्वजनिक किए दो स्टाफ नर्शों को निलम्बित कर दिया.शेष सदस्य पहली जांच समिति के ही रहे.दूसरी तरफ प्रशासनिक गतिविधियों के बढने से डाक्टर भी लामबंद हो रहे हैं.

भेड़ाघाट में मिली युवक की लाश

जबलपुर. भेड़ाघाट थाना अंतर्गत सरस्वती घाट पर हरे कृष्ण आश्रम पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ग्राम पंचवटी भेड़ाघाट निवासी नाविक ने नदी में शव को उतराता हुए देखा. नाविक ने पुलिस को बताया कि वह हमेशा की तरह नाव चलाने के काम से निकला था. सुबह करीब 11 बजे जब वह हरे कृष्ण आश्रम पुल के पास पहुंचा, तो उसे नर्मदा नदी के पानी में एक शव दिखाई दिया.

सीडीआर के आधार पर नहीं किया जा सकता सजा से दंडित : हाईकोर्ट

जबलपुर. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने हत्या के अपराध में जिला न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ मोबाइल फोन की सीडीआर के आधार पर सजा से दंडित नहीं किया जा सकता है. पुलिस के द्वारा मोबाइल टावर लोकेशन डेटा व सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सहित अन्य सबूत एकत्र नहीं किये गये. जिला न्यायालय इटारसी के द्वारा हत्या के अपराध सहित अन्य धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ प्रकाश उर्फ मुन्ना की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. अपील में कहा गया था कि जिला न्यायालय द्वारा सह आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया था. अभियोजन के अनुसार 9 अप्रैल 2021 मुलताई निवासी जगन गीद उम्र 45 साल अपीलकर्ता से मिलने बैतूल आया था. वह अपने साथ 40 हजार रुपये तथा जेवरात लिये हुए था. बैतूल बस स्टैण्ड में वह आरोपियों से मिला और तीनों ने ढाबे में खाना खाया. इसके बाद आरोपियों ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया.

इंदौर में मोमोज में निकली इल्लियां

- शिकायत के बाद खाद्य विभाग पहुंचा
- सामने आया 'संचालक कौन' का सवाल

नवभारत न्यूज

इंदौर, 29 अगस्त. शहर के स्कीम नंबर 54 स्थित वी आर वन रेस्टोरेंट परिसर में संचालित मोमोज स्टेशन में कीड़े मिलने की शिकायत ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शनिवार को मौके का निरीक्षण किया, लेकिन तब तक मोमोज स्टेशन बंद मिला. विभाग ने मामले में संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा है.

जानकारी के अनुसार, 28 अगस्त को खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को मोमोज में कीड़े मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के साथ वीडियो और फोटो भी दिए गए थे, जिनमें मोमोज में कथित तौर पर कीड़े दिखाई देने की बात सामने आई. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग की टीम ने अगले दिन 29 अगस्त को संबंधित परिसर का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान मोमोज स्टेशन बंद मिला. मौके पर वी आर वन रेस्टोरेंट के संचालक सिद्धार्थ मालवीय मौजूद थे. अधिकारियों के अनुसार, मालवीय ने बताया कि परिसर में संचालित मोमोज स्टेशन सोनू पाल द्वारा चलाया जाता है और वह वर्तमान में अपने घर ललितपुर, उत्तर प्रदेश गया हुआ है.

हालांकि, इन सवालों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. खाद्य विभाग की जांच और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. यदि मोमोज स्टेशन रेस्टोरेंट परिसर में रेस्टोरेंट प्रबंधन की जानकारी या निगरानी में संचालित पाया जाता है, तो मामले की जिम्मेदारी तय होने के साथ कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है.

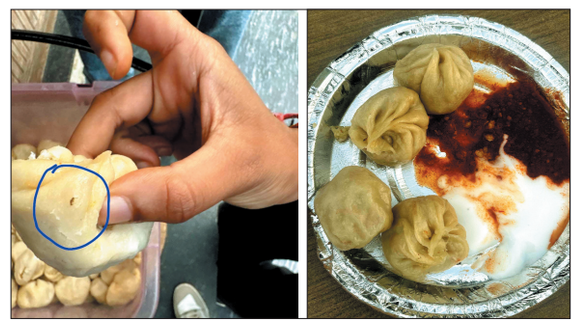

विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शरद चंद्र साहू ने मामले में संबंधित पक्षों को निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, तलावली-चांदा, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. अब विभाग के सामने शिकायत में मिले फोटो-वीडियो, मौके पर मिली स्थिति और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर यह तय करना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.

जांच के घेरे में रेस्टोरेंट की भूमिका भी

मामले में अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि मोमोज स्टेशन वास्तव में किसके संचालन में है. क्या यह स्वतंत्र रूप से सोनू पाल द्वारा संचालित किया जा रहा था या वी आर वन रेस्टोरेंट प्रबंधन की भी इसमें सीधी भूमिका है? स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि कार्रवाई से बचने के लिए किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के नाम पर काउंटर संचालित होने की बात कही जा सकती है.

खुशखबरी | हजारों साल से धरती पर मौजूद होने का दावा, विशेषज्ञों को दिखी उम्मीद की किरण

शिवपुरी में पैंगोलिन की आश्चर्य भरी दस्तक

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 29 अगस्त. जिस दुर्लभ वन्यजीव को दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध तस्करी का शिकार माना जाता है, वह बीती रात शिवपुरी के नरवर में एक घर में मिला. रात 10 बजे कोटिया मोहल्ले में पैंगोलिन के पहुंचने से लोग हैरान रह गए.

सूचना मिलते ही सर्पमित्र सलमान पठान और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस दुर्लभ जीव को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. नरवर में पैंगोलिन का पहुंचना एक घटना नहीं, बल्कि शिवपुरी के जंगलों में इसकी मौजूदगी का महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है. इसके हजारों साल से धरती पर मौजूद होने का दावा किया जाता है. खास बात यह है कि पैंगोलिन आमतौर पर रात में सक्रिय रहने वाला जीव है. आबादी से दूर रहना पसंद करता है. ऐसे में उसका जंगल से निकलकर नरवर के कोटिया मोहल्ले में पहुंचना इस संभावना को बल देता है कि आसपास के वन क्षेत्र में पैंगोलिन का प्राकृतिक आवास मौजूद हो सकता है.

यदि एक पैंगोलिन यहां मिला है तो वन विशेषज्ञों के लिए यह क्षेत्र में उसकी आबादी और उसके प्राकृतिक आवास की तलाश का विषय बन सकता है.

दुर्लभ जीव का मिलना खुशखबरी

पैंगोलिन का शिवपुरी के जंगलों में मिलना वन्यजीव प्रेमियों के लिए निश्चित तौर पर सुखद खबर है. यह जीव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. यह मुख्य रूप से चींटियों और दीमक को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है. शरीर पर मौजूद कठोर शल्क इसकी सबसे विशिष्ट पहचान हैं. खतरा महसूस होने पर पैंगोलिन अपने शरीर को गेंद की तरह समेट लेता है.

30 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

पुलिस अभिरक्षा से फरार पटवारी के ठिकानों पर पुलिस की दबिश

सिंगरौली, 29 अगस्त. जिला चिकित्सालय बैढ़न से फरार निलंबित पटवारी आरोपी को पुलिस 30 घंटे बाद भी तलाश नही कर पाई. हालांकि उसके ठिकानों पर पुलिस की टीम ने दबिश दी है, परंतु पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं.

नवभारत फॉलोअप

पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ आरोपी निलंबित पटवारी के मामले में दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है. ज्ञात हो कि वर्तमान दुधमनिया तहसील क्षेत्र के ग्राम कतरिहार की करीब 15 एकड़ म.प्र. शासन की शासकीय भूमि को फर्जी तौर पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये पूर्व सरपंच की माँ गोन्ही बेवा पति बैजनाथ भूर्तिया को भूमि स्वामी बना दिया. शिकायत हुई, जांच उपरांत आरोप सही पाए जाने पर पटवारी को निलंबित करते हुये मोरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. यह घटना वर्ष 2015 की है. अपराध पंजीबद्ध होने के बाद वह न्यायालय की शरण में था, जहां उसे राहत मिली हुई थी. लेकिन करीब दो महीने पहले उच्च न्यायालय से निलंबित पटवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, तब से पटवारी को गिरफ्तार किये जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन मोरवा पुलिस टालमटोल कर रहे थे. अंतत: एसपी सियाज केएम के हस्तक्षेप पर एसडीओपी मोरवा रोशनी कुर्मी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी निलंबित पटवारी को गिरफ्तार करने में सफल रही. वहीं पटवारी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय बैढ़न गुरूवार की देर शाम लाया गया, जहां पटवारी अचानक बीमारी का बहाना बताया.

हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर

सीधी. जिले के जमोड़ी थानांतर्गत बंजारी गांव में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के पालन में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने बड़ी कार्रवाई की गई. न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मौके पर भारी प्रशासनिक अमला और पुलिस बल तैनात रहा. कार्रवाई के दौरान एक एसडीएम सहित तीन थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण पर प्रशासन का बुल्डोजर चला.